कार्यालय जिला परिषद् उदयपुर (राज.)

क्रमांकः एफ.( )जिपउ/संस्था/अ0भ0परीक्षा.12/2018/ 131 दिनांकः 30.04.18

सम्पादक,
राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर,
उदयपुर

विषयः—विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 एवं 2013 के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पुनः संशोधित परिणाम के उपरान्त विज्ञप्ति सलंग्न कर प्रकाशन हेतु भिजवाई जा रही है। विज्ञप्ति को आवश्यक रुप से राज्य स्तरीय संस्करण मे डी.पी.आर.दरो पर न्यूनतम साईज मे प्रकाशन करा बिल भुगतान हेतु कार्यालय मे भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न— विज्ञप्ति की प्रति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, उदयपुर

कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर (राज0)

क्रमांकः एफ.( )जिपउ/संस्था/अ.भ.प.12.13/2018/ 130 दिनांकः 30.04.18

–: विज्ञप्ति :–

1)तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2012 प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर के पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम पश्चात् विभागीय निर्देशानुसार एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10622/2014 रामधन कुमावत बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय की पालना में नियुक्त/कार्यरत वरीयता से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के समायोजन उपरान्त विषयवार/श्रेणीवार रिक्त पदों के विरूद्व सिविल रिट याचिका संख्या 750/2017 मुकेश कुमार टेलर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय की पालना में संबंधित श्रेणी/स्तर में रिक्त रहे पद पर अंतिम कार्यरत अभ्यर्थी तक वरियता में आने वाले अभ्यर्थियो के दस्तावेज सत्यापन हेतु कटऑफ वेबसाईटwww.udaipur.rajasthan.gov.inपर अपलोड करवा दी गई हैं।

2)तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 का संशोधित परीक्षा परिणाम पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं विभागीय निर्देश दिनांक 17.03.2018 की पालना में रिक्त पदो पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कट ऑफ में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने से रिक्त रहे पदो पर भर्ती हेतु श्रेणीवार कट आफ वेबसाईट www.udaipur.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवा दी गई हैं।

दस्तावेज सत्यापन के योग्य केवल नये अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्तिया करते हुये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिशः जिला परिषद कार्यालय उदयपुर में दिनांक 10.05.2018 गुरूवार को प्रातः 10 बजे उपस्थित होवें। **दस्तावेज सत्यापन की नियत दिनांक 10.05.2018 के बाद किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन नहीं किये जायेंगे, जिसकी सम्पुर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने जिला परिषद में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है, उन्हे पुनः दस्तावेज करवाने की आवश्यकता नही है। केवल दस्तावेज सत्यापन मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, उदयपुर